वसूली अधिकारी का कार्यालय – I/II
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1)

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001

आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत अचल संपत्ति की कुर्की हेतु कारण बताओ नोटिस, ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के साथ पठित।

TRC/2541/2022 15–05–2026

भारतीय स्टेट बैंक बनाम **सुषमा रोहिल्ला**

प्रति,

(सीडी1) सुषमा रोहिल्ला पत्नी संजीव कुमार, मकान नं. 3218, सेक्टर – 9ए, हाउसिंग बोर्ड, बहादुरगढ़ झज्जर (हरियाणा)–124507 यहाँ भी उपलब्धः मकान नं.51, दूसरी मंजिल, पॉकेट–7. सेक्टर–17, रोहिणी, दिल्ली **यहाँ भी उपलब्धः** प्रोपराइटर ऑफ मेसर्स जी–नेट कम्युनिकेशन दुकान नं. 104, पहली मंजिल, एलएससी, ए–2, डीडीए मार्केट, पश्चिम विहार, दिल्ली **यहाँ भी उपलब्धः** दुकान नं. 117, देव करण धर्मशाला रेलवे रोड बहादुरगढ़, हरियाणा **यहाँ भी उपलब्धः** मकान नं. 42, पहली मंजिल, संत विहार. पीतमपुरा, दिल्ली

जबकि वसूली प्रमाणपत्र, जो पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (क्त्ज 1) द्वारा जारी किया गया है, में रु. 1783939.32 (रुपये सत्रह लाख तिरासी हजार नौ सौ उनचालीस और पैसे बत्तीस मात्र) की राशि, साथ में 28/06/2016 से वसूली तक 10ः प्रति वर्ष की दर से लंबित एवं भविष्य का ब्याज तथा रु. 20000.00 की लागत, आपके विरुद्ध (संयुक्त रूप से और पृथक रूप से/पूर्णत/सीमित रूप से) देय हो गई है, और जबकि उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

2. आपको **17/09/2026** को प्रातः 10.30 बजे ऋण वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) के समक्ष उपस्थित होने और यह कारण बताने का निर्देश दिया जाता है कि नीचे उल्लिखित संपत्ति को कुर्क क्यों न किया जाए। आपको आगे के आदेश(ों) तक इस संपत्ति में किसी तीसरे पक्ष के हित सृजित करने से भी रोका जाता है।

संपत्ति का विवरण	
संपत्ति का प्रकार	अचल संपत्ति
संपत्ति का विवरण	संपत्ति संख्या 51 की छत के अधिकारों सहित पूरी दूसरी मंजिल, जिसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर है, ब्लॉक–ए, पॉकेट–7, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली–110085

3. ध्यान दें कि चूक की स्थिति में, कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
न्यायाधिकरण के हस्ताक्षर एवं मुहर के तहत, इस दिनांकः 15/05/2026 को जारी किया गया।

निरंजन शर्मा, वसूली अधिकारी–।।
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली(डीआरटी 1)

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

कॉर्पोरेट कार्यालयः नंबर 167–169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई – 600015, तमिलनाडु, भारत, शाखा कार्यालयः कार्यालय संख्या 311 और 312, आईटीएल नॉर्थ–एक्स टॉवर, ए–9 बिल्डिंग, एनएसपी पीतमपुरा–110034। संपर्क विवरणः (श्री पवन कुमार पांडे) जेडआरएमः 8010562716 | (श्री अरुण मोहन शर्मा) एएलएमः 8800898999 | (श्री रवि शंकर) आरआरएमः 9999735552
ईमेलः **auction@hindujahousingfinance.com**

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

नियम 8(8) और 9(1) के प्रावधान के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत एचएचएफएल को गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों की बिक्री।

एचएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अनुसूची संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। व्यापक तौर पर जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में वर्णित प्रतिभूत संपत्ति निजी संधि/सार्वजनिक ई–नीलामी के माध्यम से, एचएचएफएल के लिए सहमत शर्तों पर, 'जैसा है जहां है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है' के आधार पर अपने बकाया की वसूली के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध है।

मानक नियम एवं शर्तेंः 1. बिक्री कठोरता से 'जैसा है जहां है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है' के आधार पर की जाएगी। 2. क्रेता को आवेदन और केवाईसी दस्तावेजों के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा। इसे स्वीकृति पर आवश्यक 25% जमा के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 3. एचएचएफएल द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने पर, खरीदार को बिक्री प्रतिफल का 25% (प्रारंभिक 10% सहित) अगले कार्य दिवस तक जमा करना होगा। 4. बिक्री प्रतिफल का शेष 75% भुगतान बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर करना होगा। 5. निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रारंभिक 10% सहित सभी जमा राशि स्वतः जब्त हो जाएगी और संपत्ति को बिना किसी पूर्व सूचना के दोबारा बेचा जा सकता है। 6. यदि एचएचएफएल प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है, तो शुरूआती 10% जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 7. रुपये 50,00,000/– से अधिक की बोलियों के लिए सफल क्रेता को आयकर अधिनियम की धारा 194–आईए के तहत 1% टीडीएस भेजना होगा। 8. संपत्ति सभी मौजूदा और भावी ऋणभारों के साथ बेची जाती है, चाहे एचएचएफएल को ज्ञात हो या अज्ञात। एचएचएफएल किसी तीसरे पक्ष के दावे, अधिकार या वैधानिक बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 9. खरीददार को संपत्ति के सभी पहलुओं की स्वतंत्र रूप से पूरी जाँच–पड़ताल करनी चाहिए। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। 10. एचएचएफएल बिना कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने या नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 11. नीलामी/बोली केवल 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड' के माध्यम से वेबसाइट **www.bankeauctions.com** के माध्यम से होगी या नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाएगी। 12. बोलीदाता ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी पसंद के स्थान से भाग ले सकते हैं। प्रतिभूत ऋणदाता/सेवा प्रदाता को किसी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। 13. ई–नीलामी पर किसी भी विवरण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर – 44, गुड़गांव, हरियाणा– 122003 (संपर्क व्यक्तिः मिथलेश कुमार, फोन नंबर 7080804466, ईमेलः **Mithalesh.kumar@c1india.com**, ईमेलः **tn@c1india.com, Prabhakaran.Malaichamy@c1india.com** और सपोर्ट (हेल्पलाइन) मोबाइल नंबर +91–7291981124/25/26, सपोर्ट ईमेल – **Support@bankeauction.com** से संपर्क कर सकते हैं। 14. ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम **https://www.bankeauctions.com** पर पहले से पंजीकृत करना होगा और इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त होने पर तुरंत बदलने की सलाह दी जाती है। 15. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से वापसी योग्य जमा धरोहर राशि (ईएमडी) यानी आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर बताया गया है) जमा करना होगा। 16. इच्छुक पार्टियां विवरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं और 28.09.2026 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले केवाईसी दस्तावेजों के साथ ऑफर, ईएमडी जमा कर सकती हैं। 17. सफल नीलामी क्रेता को गिरवी रखी गई संपत्ति से संबंधित सभी स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, कर और अन्य वैधानिक खर्च वहन करना होगा। 18. सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत कर्जदारों/बंधककर्ताओं का मोचन का अधिकार नवीनतम न्यायिक आदेशों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख पर समाप्त हो जाएगा। 19. बिक्री सरफेसी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

अनुसूची

ऋण संख्याः (ऋण संख्या **DL/TLK/TIHR/A000000226,** कर्जदारों के नामः 1. श्री विक्की विक्की 2. श्रीमती ज्योति ज्योति	बकाया राशिः रु. 17,34,273/– (रुपये सत्रह लाख चौंतीस हजार दो सौ तिहत्तर मात्र) 14–09–2026 तक
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 28–09–2026, को 5:00 बजे अप. तक।	आरक्षित मूल्यः रु. 12,50,000/– (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)
ई–नीलामी की तिथि/समयः 29–09–2026, 11:00 बजे पूर्वा. से 1:00 बजे अप. तक।	ईएमडीः रु. 1,25,000/– (रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र)
बोली वृद्धि राशिः रु. 10,000/–	

सम्पत्ति (प्रतिभूत आस्ति) का विवरणः सम्पत्ति नंबर 259/48 (छत के अधिकारों के साथ), जो 90 वर्ग गज जमीन पर बनी है। यह जमीन खसरा नंबर 299 का हिस्सा है और दिल्ली–110036 के गाँव मुखमेलपुर की लाल डोरा आबादी (1908–09) में स्थित है।

तिथिः 15.09.2026, स्थानः दिल्ली — अधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Registered office at 27-A, Developed Industrial Estate, Guindy, Chennai - 600 032. Tamil Nadu. E-mail : auction@hindujahousingfinance.com

सीएलएम–मुकुल शर्मा – 82854 15168; सीएलएम – हिमांशु सिंह – 99584 43500; सीएलएम – श्री दिनेश जोशी – 99104 74899; एएलएम – श्री प्रमोद चंद – 99903 38759; एसीएम – अनिरुद्ध सिंह – 9821221906; जेडआरएम – श्री पवन यादव – 9711992427

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का सं. 3) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्रत्येक खाते के समक्ष उल्लिखित तथा इसके बाद वर्णित तिथियों पर मांग सूचना जारी की थी, जिसमें ऋणधारक (इसके बाद ऋणधारक और गारंटरों को सामूहिक रूप से "ऋणधारक" कहा गया है) से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया था। ऋणधारकों द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, ऋणधारक तथा सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष उल्लिखित तिथियों पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 4 के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणधारक / गारंटीदाता तथा सर्वसाधारण को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के संबंध में कोई लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के उक्त राशि तथा उस पर हुए आनुषंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज की राशि के प्रभार के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

	खाता संख्या, ऋणधारकों के नाम व पते	कब्जा की तिथि : मांग तिथि एवं कुल बकाया :
1	**DL/ROH/BURA/A000000480,** 1. श्रीमती प्रिया चौधरी पत्नी श्री नरेंद्र प्रताप सिंह, 2. श्रीमती राजेश देवी पत्नी श्री करन पाल सिंह, 3. श्री करन पाल सिंह पुत्र श्री जमुना दास, 4. श्री नरेंद्र प्रताप सिंह पुत्र श्री करन पाल सिंह, पता : डीजी 718 वार्ड नं. 7 सुखराम अस्पताल के पीछे, आदर्श कॉलोनी, पलवल, हरियाणा–121102, संपत्ति का विवरण : अरजी वाका मौजा आदर्श कॉलोनी, पलवल खेवट/खाता नं. 3499/3961, मुस्तकील नं. 204, किला नं. 1 (4–5), 10/1 (4–5) कित्ता 2 रकबा 8 कनाल 10 मरले का 13/340 भाग बकदर रकबा 6.5 मरला (200 वर्ग गज)। सीमाएं :– पूर्व : रास्ता 16 फीट चौड़ा, पश्चिम : रास्ता 18 फीट चौड़ा, उत्तर : बृजेश का प्लॉट, दक्षिण : केसरिया का मकान।	09.09.2026 10–06–2026 तथा रु. 28,37,406/–
2	GR/PLW/PLWL/A000000289, 1. श्री राकेश तंवर पुत्र श्री बृज लाल, 2. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री राकेश तंवर, पता : मकान नं. 425, वार्ड नं. 8, स्वामीका 258, हथीन, पलवल –121103, संपत्ति का विवरण : वाका मौजा स्वामीका, तहसील हथीन, जिला पलवल खेवट/खतौनी नं. 291/304, खसरा नं. 251/2 (4–9) कित्ता 1 रकबा 4 कनाल 9 मरला का 107/890 भाग बकदर रकबा 10.7 मरला (325 वर्ग गज)। सीमाएं :– पूर्व : सुरेश का मकान, पश्चिम : खाली प्लॉट, उत्तर : खाली प्लॉट, दक्षिण : रास्ता।	09.09.2026 10–06–2026 तथा रु. 12,56,933/–
3	HR/GGN/FRBD/A000001761, 1. श्री लक्ष्मण पुत्र श्री किशन चंद, 2. श्रीमती हरप्यारी पत्नी श्री किशन, 3. श्रीमती अंजू पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह, पता : मकान नं. 104, वार्ड नं. 30, दयानंद स्कूल के पीछे, पलवल, हरियाणा–121102, संपत्ति का विवरण : वाका दलीप नगर, पलवल अरजी खसरा नं. 127/26 (0–19), 737 (6–0), 738 (6–0), 756 (4–11), 757 (4–11), 758 (6–4), 805 (4–1), 806 (4–6), 807 (9–16), कित्ता 9 रकबा तादादी 46 कनाल 8 मरला का 7/928 भाग बकदर रकबा तादादी 7 मरला (226 वर्ग गज)।	10.09.2026 10–06–2026 तथा रु. 16,30,272/–
4	HR/GGN/FRBD/A000002334, 1. श्रीमती बबीता पत्नी श्री सतीश शर्मा, 2. श्री हरिओम पुत्र श्री सतीश शर्मा, पता : पांच बिसा, मथुरा दास मंदिर के पास, खांबी 118, पलवल, हरियाणा–121106, संपत्ति का विवरण : अरजी जराई वाका मौजा खांबी, उप–तहसील हसनपुर, जिला पलवल खेवट/खाता नं. 33/35, खसरा नं. 394/4 (1–7) कित्ता 1 रकबा 1 कनाल 7 मरला का 31/670 भाग बकदर रकबा 1.24 मरला (37.78 वर्ग गज); खेवट/खाता नं. 49/51, मुस्तकील नं. 65, किला नं. 6/2 (5–9) कित्ता 1 रकबा 5 कनाल 9 मरला का 11/218 भाग बकदर रकबा 5.5 मरला (166.37 वर्ग गज); खेवट/खाता नं. 58/60, मुस्तकील नं. 51, किला नं. 19/1 (4–3) कित्ता 1 रकबा 4 कनाल 3 मरला का 1/20 भाग बकदर रकबा 4.15 मरला (125.53 वर्ग गज); खेवट/खाता नं. 59/61, मुस्तकील नं. 51, किला नं. 21/2/2 (5–3), मुस्तकील नं. 64, किला नं. 2/1 (0–11) कित्ता 2 रकबा 5 कनाल 14 मरला का 1/20 भाग बकदर रकबा 5.7 मरला (172.42 वर्ग गज), कुल रकबा तादादी 16.59 मरला (502.1 वर्ग गज)।	09.09.2026 10–06–2026 तथा रु. 14,43,870/–
5	DL/BDP/BDRP/A000000364, 1. अनीश अली पुत्र यासीन, 2. नजमा पत्नी अनीश अली, पता : मकान नं. 113, वार्ड नं. 11, व्यापन मोहल्ला, कुरेशान मस्जिद के पास, पटौदी, गुरुग्राम, हरियाणा – 122503, संपत्ति का विवरण : क. संपत्ति/मकान/प्लॉट – खेवट/खाता नं. 249/10/261, 880/900, 235/237, मुस्तकील/किला नं. 67//28/2, 13–6, 28/1, 106–11, 28/3, 4 4 कित्ता 3 तादादी 124 कनाल 01 मरला में से हिस्सा 40/4962 बकदर 0–1 कनाल वाका रकबा पटौदी, तहसील पटौदी, जिला गुरुग्राम, हरियाणा।	11–09–2026 11–06–2026 तथा रु. 43,61,150/–
6	HR/GGN/KRNL/A000001331, 1. श्री रमेश कुमार पुत्र नंद लाल वर्मा, 2. श्रीमती सरला पत्नी रमेश कुमार, पता : मकान नं. 388/डी, गली नं. 11, साई बाबा मंदिर के पास, गुरुग्राम, हरियाणा–122001, संपत्ति का विवरण : एक फ्रीहोल्ड आवासीय मकान नं. 818–डी/14, माप 38.8 वर्ग गज, कवर्ड क्षेत्र लगभग 200 वर्ग फुट, खसरा नं. 148–149 के अंदर, वाका आबादी अर्जुन नगर गुरुग्राम, हदूद नगर निगम गुरुग्राम के अंदर, तहसील व जिला गुरुग्राम, हरियाणा–122001 में स्थित। सीमाएं :– पूर्व : अन्य का मकान, पश्चिम : गली, उत्तर : अन्य की संपत्ति, दक्षिण : अन्य की संपत्ति।	11–09–2026 11–06–2026 तथा रु. 9,91,924/–
7	HR/NCH/GURH/A000001064, 1. श्री समीर जेटवानी पुत्र मुरली धर, 2. श्रीमती कविता जेटवानी पत्नी समीर जेटवानी, पता : प्लॉट नं. आई–218, चौथी मंजिल, ब्लॉक–1, साउथ सिटी– 2, सेक्टर–50, गुरुग्राम, हरियाणा–122018, संपत्ति का विवरण : संपूर्ण आवासीय चौथी मंजिल साथ में 80 टैरेस एरिया जिसका निर्मित क्षेत्र लगभग 2173 वर्ग फुट है, आगे व पीछे की बालकनियों सहित जिसमें ड्राइंग रूम, लॉबी, रसोई, प्रवेश लॉबी, चार बेडरूम, चार ड्रेसिंग रूम, चार शौचालय, लिफ्ट तथा सीढ़ी का निर्माण केवल प्लॉट नं. आई–218, ब्लॉक–आई पर किया गया है, जिसका माप 420 वर्ग मीटर (502.32 वर्ग गज) है, साथ में सामान्य रास्तों, सीढ़ी, लिफ्ट, शाफ्ट, स्टिल्ट क्षेत्र/भूतल पर विशेष रूप से चिह्नित गैर–आनुपातिक पार्किंग स्थल, प्रवेश व निकास, जल आपूर्ति, बिजली, लाइट, सीवर व्यवस्था आदि का उपयोग करने का अधिकार, तथा गांव आदमपुर फतेहपुर, तिगड़ा, टिकरी, समसपुर, घासोला व बादशाहपुर तथा तहसील वजीराबाद व जिला गुरुग्राम, हरियाणा–122018 के राजस्व संपदा में स्थित साउथ सिटी–द्वितीय, सोहना रोड नामक आवासीय कॉलोनी में स्थित आवासीय भवन से जुड़े समस्त सुखाधिकार (ईजमेंटरी) अधिकारों सहित। सीमाएं :– पूर्व : प्लॉट नं. –आई–219, पश्चिम : प्लॉट नं.–आई–217, उत्तर : सड़क, दक्षिण : प्लॉट नं.–आई–221	11–09–2026 11–06–2026 तथा रु. 33,36,230/–
8	HR/NCH/GURH/A000001238, 1. श्री सुरेंदर सिंह पुत्र राज सिंह, 2. श्रीमती गीता देवी पत्नी सुरेंदर सिंह, पता : खाड़ी सुल्तान, पटौदा (249), झज्जर, हरियाणा–122018, संपत्ति का विवरण : एक संपत्ति/मकान/प्लॉट खेवट नं. 1043 मिन, खाता नं. 1099 मिन, खसरा नं. 370 (0–16), 371/1 (0–14), कित्ता 2 तादादी 1 कनाल 10 मरला में से हिस्सा 1/2 बकदर 0 कनाल 15 मरला अर्थात् 453 वर्ग गज, वाका रकबा गांव खेड़ी, तालुका तहसील पटौदा, जिला झज्जर, हरियाणा–124108 में स्थित। सीमाएं :– पूर्व : फिरनी 49–0, पश्चिम : विक्रम एवं संजय, उत्तर : मास्टर दयानंद 83–0, दक्षिण : रास्ता 83–0	11–09–2026 11–06–2026 तथा रु. 12,96,289/–
9	GR/KAP/MUNI/A000000134 1. सुश्री पूनम कुमारी चौबे, 2. श्री ग्रेग बेंजामिन सिंह, पता : मकान नं. पी1, 29 सी, दूसरी मंजिल, एस आर एस, सेक्टर–87, खेड़ी कलां, फरीदाबाद, हरियाणा–121002 एवं फ्लैट नं. सी–807, 8वीं मंजिल, टावर–सी, फ्लोरिडा, सेक्टर–82, फरीदाबाद, हरियाणा–121004, संपत्ति का विवरण : टावर नं. सी की आठवीं मंजिल पर स्थित आवासीय व्यक्तिगत इकाई नं. सी–807, जिसका कार्पेट क्षेत्र 487.3 वर्ग फुट (45.271 वर्ग मीटर) है (जैसा कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2013 में परिभाषित है), साथ में एक दोपहिया वाहन पार्किंग स्थल का उपयोग करने का अधिकार, सीढ़ी और सामान्य रास्ते का उपयोग करने और आनंद लेने के संयुक्त अधिकारों के साथ, सामान्य सुविधाओं के साथ उस इकाई में स्थापित बिजली कनेक्शन, पानी और सीवर कनेक्शन और बिजली मीटर सहित और फ्लोरिडा, सेक्टर–82, फरीदाबाद में स्थित भूमि के आनुपातिक, अविभाजित, अविभाज्य हिस्से के साथ, जो गांव भटोला, तहसील व जिला फरीदाबाद, हरियाणा के राजस्व संपदा में स्थित है।	12–09–2026 12–06–2026 तथा रु. 22,62,754/–

स्थान : हरियाणा, तिथि : 15/09/2026 — हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी–हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Shivalik Bimetal Controls Limited

CIN: L27101HP1984PLC005862
पंजीकृत कार्यालयः–16–18, न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट, जिला सोलन, एचपी 173213 फोनः +91–011–43071031/61
वेबसाइटः www.shivalikbimetals.com, ईमेलः investor@shivalikbimetals.com

शेयर प्रमाणपत्रों के गुम होने के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शेयर प्रमाण पत्रों के गुम होने, गायब होने या चोरी होने की सूचना मिली है और इसलिए पंजीकृत शेयरधारक ने कंपनी के समक्ष डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है।सामान्य जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उल्लिखित शेयर प्रमाण पत्रों को किसी भी तरह से खरीदने या उनका लेन–देन न करें। जिस किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों का उक्त शेयर प्रमाण पत्रों के संबंध में कोई दावा है, वे इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में अपना दावा दर्ज कराएं, जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और कंपनी किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी तथा कंपनी डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी।

फोलियो नं.	प्रमाणपत्र सं.	विशिष्ट सं.	शेयरों की सं.	शेयरधारक का नाम
M000374	4942	37990751–7991750	1000	मिस्टी क्वात्रा

शिवालिक बाईमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड के लिए
हस्ता.
दिनांकः 15.09.2026 — आरती साहनी
स्थानः नई दिल्ली — कंपनी सेक्रेटरी

कार्यालय : वसूली अधिकारी– I/II
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2)

चौथी मंज़िल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001

डिफ़ॉल्ट नोटिस

ऋण और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 29 और आयकर एक्ट, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

आरसी /535/2018 15–07–2026

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया बनाम **श्री हर्ष कुमार**

सेवा में,
(सीडी 1) श्री हर्ष कुमार
7718 पहली मंज़िल, बस्ती हरफूल सिंह, सदर बाज़ार, दिल्ली–110006।

ऊपर बताए गए मामले की सुनवाई वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2) के सामने 13/07/2026 को होनी थी, लेकिन आपकी ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।
2. आपको निर्देश दिया जाता है कि मामले में आगे की कार्यवाही के लिए 24/09/2026 को सुबह 10.30 बजे वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2) के सामने पेश हों।
3. ध्यान दें कि ऐसा न करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
मेरे हस्ताक्षर और ट्रिब्यूनल की मुहर के साथ, आज 15/07/2026 को जारी।

वसूली अधिकारी,
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2)

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लि.

कॉर्पोरेट कार्यालयः सं. 167–169, 2री मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई–600015, तमिलनाडु, भारत, शाखा कार्यालयः एफ8, पहली मंजिल, महालक्ष्मी टॉवर, सेक्टर 4, वैशाली, गाजियाबाद–201010; ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com

जेडआरएम – श्री अमित कौशिक – 9587088333 * आरएलएम – श्री अरुण मोहन शर्मा – 8800898999
सीएलएम – ध्रुव वशिष्ठ – 8802967651

अचल संपत्ति के भौतिक कब्जे की सार्वजनिक सूचना

सेवा में, 1. श्री राम मिलन; 2. श्रीमती शारदा शारदा
एलएएन सं.: **DL/SDR/SDRA/A000001827**
दोनों का पताः मकान नं. 619, 12, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, गली नं. 12, करावल नगर, मेट्रो, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दिल्ली, भारत – 110094

जैसाकि विद्वान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2025 के तहत संपत्ति, जो कि संपत्ति का संपूर्ण टुकड़ा और भूखंड हैः फ्लैट सं. एसएफ–2 (एलआईजी), दूसरी मंजिल, सामने का भाग (तकनीकी के अनुसार सामने का मध्य भाग), छत के अधिकारों सहित, जिसका निर्मित क्षेत्रफल 450 वर्ग फीट, यानी 41.805 वर्ग मी. है, जो प्लॉट सं. ए–59, भूमि क्षेत्रफल 355 वर्ग गज, खसरा सं. 1275, 386, 387 में से निर्मित है, जो आवासीय कॉलोनी "एस.एल.एफ. वेद विहार", हदबस्त ग्राम सादुल्लाबाद, परगना लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201102 में स्थित है, का भौतिक कब्जा मेसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा दिनांक 10–09–2026 को ले लिया गया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि वे इस संपत्ति के साथ कोई लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन मेसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

दिनांकः 15–09–2026, स्थानः गाजियाबाद — अधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः 27, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई – 600 032
शाखा कार्यालयः दूसरी मंजिल, डी–59/103, डी–4, आशा कुंज, महमूरगंज रोड, सिगरा, वाराणसी – 221010
ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com

जेडआरएम – उमेश सिंह चौहान – 9838202386 ● आरएलएम – बृजेश अवस्थी – 9873277495 ● आरआरएम – गौरव दूबे – 9696658882

परिशिष्ट–IV–ए [नियम 8(6) के प्रावधान का संदर्भ लें] ई–नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट–IV A) [नियम 8(6)]

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम") के तहत हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय (हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड–27, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई – 600 032) और शाखा कार्यालय हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड–द्वितीय मंजिल, डी–59/103, डी–4, आशा कुंज, महमूरगंज रोड, सिगरा, वाराणसी – 221010 के अधीन बंधक रखी अचल संपत्ति की बिक्री।
जबकि एचएचएफ के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुसार निम्नलिखित ऋण खातों/संभावित ऋण संख्या में निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है और बकाया राशि की वसूली के लिए इन्हें "जैसा ही जहाँ है" तथा "जो है यही है" के आधार पर बेचने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट www.bankeauctions.com एवं auction@hindujahousingfinance.com पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि	: 23.10.2026, 11:00 बजे से 14:00 बजे तक
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	: 26.10.2026, 5 बजे तक
ई–नीलामी की तिथि/समय	: 29.10.2026, 11:00 बजे से 13:00 बजे तक

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या / कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती के नाम; अचल संपत्ति का विवरण	13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि तथा राशि / दिनांकित कुल बकाया	कब्जे की तिथि तथा प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
1	[illegible]	04-01-2025 तक रु. 2275643/- ; रु. 2275643/- तिथि 12-11-2024	12-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 4255000/- ; रु. 425500/- ; रु. 15,000/-
2	[illegible]	18-11-2024 तक रु. 2229603/- ; रु. 2229603/- तिथि 18-11-2024	09-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 4032000/- ; रु. 403200/- ; रु. 15,000/-
3	[illegible]	12-03-2025 तक रु. 811645/- ; रु. 811645/- तिथि 12-03-2025	09-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 1737000/- ; रु. 173700/- ; रु. 15,000/-
4	[illegible]	06-01-2025 तक रु. 1353559/- ; रु. 1353559/- तिथि 06-01-2025	15-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 3108000/- ; रु. 310800/- ; रु. 15,000/-
5	[illegible]	06-01-2025 तक रु. 1216094/- ; रु. 1216094/- तिथि 06-01-2025	12-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 3785000/- ; रु. 378500/- ; रु. 15,000/-
6	[illegible]	24-04-2025 तक रु. 1243045/- ; रु. 1243045/- तिथि 24-04-2025	22-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 2363000/- ; रु. 236300/- ; रु. 15,000/-
7	[illegible]	18-11-2024 तक रु. 1202482/- ; [illegible]	19-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 14113000/- ; रु. 1411000/- ; रु. 15,000/-
8	[illegible]	06-01-2025 तक रु. 3450182/- ; रु. 3450182/- तिथि 06-01-2025	25-06-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 11273000/- ; रु. 1127000/- ; रु. 15,000/-
9	[illegible]	18-11-2024 तक रु. 1080234/- ; [illegible]	23-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 4490000/- ; रु. 449000/- ; रु. 15,000/-
10	[illegible]	07-11-2025 तक रु. 466830/- ; [illegible]	12-01-2026 सांकेतिक कब्जा	रु. 1304000/- ; रु. 130400/- ; रु. 15,000/-
11	[illegible]	07-11-2025 तक रु. 798630/- ; [illegible]	10-01-2026 सांकेतिक कब्जा	रु. 3335000/- ; रु. 333500/- ; रु. 15,000/-
12	[illegible]	29-01-2024 तक रु. 1635213/- ; [illegible]	22-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 1806000/- ; रु. 180600/- ; रु. 15,000/-
13	[illegible]	24-04-2025 तक रु. 563207/- ; [illegible]	17-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 1800000/- ; रु. 180000/- ; रु. 15,000/-
14	[illegible]	22-04-2026 तक रु. 1217606/- ; [illegible]	11-06-2026 सांकेतिक कब्जा	रु. 6480000/- ; रु. 648000/- ; रु. 15,000/-
15	[illegible]	07-11-2025 तक रु. 1426830/- ; [illegible]	12-01-2026 सांकेतिक कब्जा	रु. 3336000/- ; रु. 333600/- ; रु. 15,000/-
16	[illegible]	05-04-2025 तक रु. 1310024/- ; [illegible]	12-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 18380000/- ; रु. 1838000/- ; रु. 15,000/-
17	[illegible]	24-04-2025 तक रु. 562124/- ; [illegible]	21-06-2026 सांकेतिक कब्जा	रु. 1244000/- ; रु. 124400/- ; रु. 15,000/-
18	[illegible]	24-02-2025 तक रु. 1587216/- ; [illegible]	18-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 1620000/- ; रु. 162000/- ; रु. 15,000/-
19	[illegible]	28-03-2024 तक रु. 842560/- ; [illegible]	24-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 1330000/- ; रु. 133000/- ; रु. 15,000/-
20	[illegible]	12-05-2025 तक रु. 2082136/- ; [illegible]	20-08-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 4276000/- ; रु. 427600/- ; रु. 15,000/-
21	[illegible]	22-04-2026 तक रु. 1227597/- ; [illegible]	11-06-2026 सांकेतिक कब्जा	रु. 5230000/- ; रु. 523000/- ; रु. 15,000/-
22	[illegible]	06-01-2025 तक रु. 1878262/- ; रु. 1870262/- तिथि 01-01-2025	21-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 4420000/- ; रु. 442000/- ; रु. 10,000/-
23	[illegible]	15-10-2025 तक रु. 684310/- ; [illegible]	19-12-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 4080000/- ; रु. 408000/- ; रु. 10,000/-
24	[illegible]	19-08-2024 तक रु. 615083/- ; [illegible]	16-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 2143000/- ; रु. 214300/- ; रु. 10,000/-
25	[illegible]	06-01-2026 तक रु. 1900125/- ; [illegible]	12-05-2026 सांकेतिक कब्जा	रु. 5208000/- ; रु. 520800/- ; रु. 10,000/-
26	[illegible]	28-03-2024 तक रु. 647480/- ; [illegible]	24-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 1158000/- ; रु. 179800/- ; रु. 10,000/-
27	[illegible]	24-02-2025 तक रु. 2166842/- ; [illegible]	14-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 7067000/- ; रु. 706700/- ; रु. 10,000/-
28	[illegible]	12-05-2025 तक रु. 2468063/- ; [illegible]	14-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 8672000/- ; रु. 867200/- ; रु. 10,000/-
29	[illegible]	31-03-2021 तक रु. 3323426/- ; [illegible]	08-02-2022 सांकेतिक कब्जा	रु. 5313000/- ; रु. 531300/- ; रु. 10,000/-
30	[illegible]	16-11-2024 तक रु. 1790466/- ; [illegible]	05-05-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 10769000/- ; रु. 1076900/- ; रु. 10,000/-
31	[illegible]	19-08-2024 तक रु. 568942/- ; [illegible]	21-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 1818000/- ; रु. 181800/- ; रु. 10,000/-
32	[illegible]	12-05-2025 तक रु. 793726/- ; [illegible]	23-08-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 1738000/- ; रु. 173800/- ; रु. 10,000/-
33	[illegible]	16-11-2024 तक रु. 915306/- ; [illegible]	16-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 1670000/- ; रु. 167000/- ; रु. 10,000/-
34	[illegible]	24-02-2025 तक रु. 3747015/- ; [illegible]	14-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 7087000/- ; रु. 708700/- ; रु. 10,000/-
35	[illegible]	06-12-2025 तक रु. 4145278/- ; [illegible]	13-02-2026 सांकेतिक कब्जा	रु. 8471000/- ; रु. 847100/- ; रु. 10,000/-
36	[illegible]	06-12-2025 तक रु. 481564/- ; [illegible]	13-02-2026 सांकेतिक कब्जा	रु. 1675000/- ; रु. 167500/- ; रु. 10,000/-
37	[illegible]	06-05-2025 तक रु. 2203617/- ; [illegible]	08-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 5452000/- ; रु. 545200/- ; रु. 10,000/-

भुगतान की विधिः– भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा वाराणसी में देय होगा।

ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के नियम और शर्तेंः – 1. संपत्ति 'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है', 'जो कुछ भी है वहीं है' और 'आश्रय रहित' आधार पर बेची जा रही है। इस प्रकार बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। 2. संपत्ति/परिसंपत्तियों का विवरण (जैसे ई–नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट सीमा और माप) प्रतिभूत ऋणदाता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है और प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार और आयाम भिन्न हो सकते हैं। 3. प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा जारी ई–नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए एक आमंत्रण है और यह प्रतिभूत ऋणदाता की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिभूत ऋणदाता के साथ स्वामित्व विलेखों का अवलोकन करें और बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति/परिसंपत्तियों के स्वामित्व और वर्तमान स्थिति तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के बारे में स्वयं स्वतंत्र पूछताछ/ड्यू डिलिजेंस करें। 4. नीलामी/बोली केवल https://www.bankeauctions.com वेबसाइट के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड' के माध्यम से होगी या सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी होगी, जो ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की पूरी प्रक्रिया की व्यवस्था और समन्वय करेगी। 5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को स्वयं इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभूत ऋणदाता/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, स्वयं के सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 6. ई–नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन बोली के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर– 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा –122003, (सहायता लाइन नंबरः +91–124–4302000), ईमेलः Support@bankeauctions.com, मोबाइल नंबरः 7291981124/1125/1126), श्री मिथलेश कुमार, मोबाइल नंबरः 7080804466 ईमेलः Mithalesh.kumar@c1india.com, delhi@c1india.com से संपर्क कर सकते हैं। 7. ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम https://www.bankeauctions.com तथा पर पहले से ही पंजीकृत करवाना चाहिए और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए।। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त करने के तुरंत बाद ही अपना पासवर्ड बदलें। 8. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को प्रतिदेय जमा धरोहर राशि (ईएमडी) अर्थात आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) जमा करनी होगी जो इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा 'हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से 03 जुलाई, 2026 तक देय होगा। 9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म (प्रारूप https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है) ईएमडी के लिए देय डिमांड ड्राफ्ट की राशि एक सीलबंद लिफाफे में प्राधिकृत अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय संख्याः हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड – दूसरी मंजिल, डी–59/103, डी–4, आशा कुंज, महमूरगंज रोड, सिगरा, वाराणसी – 221010 को संबोधित करके 3 जुलाई, 2026 को 3:00 बजे अप. तक जमा करनी होगी। "ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए बोली – ऋण खाता संख्या (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है)" लिखा होना चाहिए। 10. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेगा और योग्य बोलीदाताओं (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक अपनी बोलियां उद्धृत की हैं और प्रतिभूत लेनदार के साथ निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान किया है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मेसर्स ई प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजीज़ लिमिटेड से करेगा ताकि वे केवल उन बोलीदाताओं को ई–नीलामी बिक्री नोटिस में उल्लिखित तिथि और समय पर ऑनलाइन इंटर–से बोली / नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे सकें। 11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली, योग्य बोलीदाताओं द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली से शुरू होगी। परस्पर बोली प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक बोली में 10 मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात यदि बोली अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर लगाई जाती है, तो ई–नीलामी का अंतिम समय प्रत्येक बार 10 मिनट के लिए स्वचालित रूप से बढ़ जाएगा। 12. एक बार लगाई गई बोलियों को रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा। बोलीदाता को दी गई यूजर आईडी से लगाई गई सभी बोलियां उसके द्वारा ही लगाई गई मानी जाएंगी। 13. ई–नीलामी कार्यवाही के समापन के तुरंत बाद, उच्चतम बोलीदाता को अपने द्वारा लगाई गई अंतिम बोली राशि की पुष्टि ई–मेल के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय संख्याः हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड – दूसरी मंजिल, डी–59/103, डी–4, आशा कुंज, महमूरगंज रोड, सिगरा, वाराणसी – 221010 और सेवा प्रदाता दोनों को करनी होगी, ताकि उन्हें ई–नीलामी में सफल बोलीदाता घोषित किया जा सके। 14. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी सहित) उसके पक्ष में बोली लगाए जाने वाले दिन ही जमा करना होगा एवं शेष 75% बोली राशि का भुगतान बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक के माध्यम से हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में करना होगा। 15. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्धारित राशि का भुगतान करने में चूक होती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। 16. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से बोली राशि के शेष को जमा करने के लिए लिखित रूप में अतिरिक्त समय दे सकता है। 17. सफल बोलीदाता को विक्रय मूल्य का 1% टीडीएस (विक्रय राशि में से) के रूप में भुगतान करना होगा और टीडीएस प्रमाणपत्र प्राधिकृत अधिकारी को जमा करना होगा। इसके बाद, अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के 15 कार्यदिवसों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य विस्तारित समय के भीतर, विक्रय मूल्य की पूरी राशि (टीडीएस के रूप में 1% कटौती के बाद) जमा करनी होगी, और ऐसा न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। 18. नगरपालिका/पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई हो) और किसी भी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई हो) का भुगतान सफल बोलीदाता को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले करना होगा। संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक बकाया को ध्यान में रखते हुए बोलियाँ लगाई जाएँगी। 19. सफल बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा जब संपूर्ण खरीद मूल्य/बोली राशि जमा कर दी जाएगी तथा सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। 20. परिवहन, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य आकस्मिक शुल्क के लिए लागू कानूनी शुल्क नीलामी क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 21. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी बिक्री की कार्यवाही को स्थगित/रद्द कर सकता है। यदि निर्धारित ई–नीलामी बिक्री बिक्री की निर्धारित तिथि से 30 दिन पहले किसी बाद की तिथि के लिए स्थगित की जाती है, तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है। 23. बोली प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को ई–नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने के लिए बाध्य माना जाएगा। 24. अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दूसरी मंजिल, डी–59/103, डी–4, आशा कुंज, महमूरगंज रोड, सिगरा, वाराणसी – 221010 से, ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com पर संपर्क करें। 25. यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर को उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में 30 (तीस) दिनों का नोटिस भी है।

दिनांकः 15.09.2026, स्थानः वाराणसी — प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

विशेष निर्देश/चेतावनीः बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनटों/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता, आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बैक–अप बिजली आपूर्ति और जो भी आवश्यक हो, कर लें ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।